(५१२

Tele-Fax : 0612-2631678(O)/2630903
E.-mail ID : arri.patna@gmail.com, arri-patna@gov.in

आयुर्वेद क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान
AYURVEDA REGIONAL RESEARCH INSTITUTE
केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्
Central Council for Research in Ayurvedic Sciences
आयुष मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Ayush, Govt. of India
अगम कुआँ, पटना - ८००००७ (बिहार)
AGAM KUAN, PATNA-800007 (Bihar)

फा.सं. १७-१/एनपीसीडीसीएस/रिक्रु./आयु.क्षे.अनु.सं./पटना/१५-१६/679 दिनांक : २१.०३.२०१६

नियुक्ति प्रस्ताव

प्रभारी (संस्थान), आयुर्वेद क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, पटना द्वारा सिनियर कन्सलटेन्ट (आयुर्वेद) के संविदा तथा प्रोजेक्ट कार्य के साथ को-टर्मिनस पर आधारित पद पर आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएएस), नई दिल्ली द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या 2(एनपीसीडीसीएस)/2015 के अंतर्गत नीचे दिये गये पदस्थापन का स्थान जिला-गया में नियत/स्थिर (फिक्सड) मानदेय राशि रूपये ५००००/-(पचास हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह के आधार पर पूर्व में छः माह के लिए है जिसे नियोक्ता के विवेक तथा अभ्यर्थी के संतोषप्रद कार्य के आधार पर एक वर्ष अथवा परियोजना की समाप्ति, जो पहले हो, के आधार पर नियुक्ति की जाती है । तदनुसार कार्यग्रहण की तिथि से नियुक्ति प्रदान कर निम्नलिखित अभ्यर्थियों का पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित जिला मुख्यालय / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में किया जाता है ।

क्र. सं.	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पदस्थापन का स्थान (जिला-गया)
01	SC0014P	डा० अरविन्द कु. मिश्रा	श्री रामसेवक मिश्रा	जय प्रकाश नारायण अस्पताल, गया
02	SC0016P	डा० सुषमा खालखो	श्री फिलीप खालखो	जय प्रकाश नारायण अस्पताल, गया

उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के आधार पर होगी ।

1. यह नियुक्ति पूर्व में छः माह के लिए है जिसे नियोक्ता के विवेक तथा अभ्यर्थी के संतोषप्रद कार्य-परफोरमेन्स के आधार पर एक वर्ष अथवा परियोजना की समाप्ति, जो पहले हो, के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है एवं नियुक्ति को किसी भी समय बिना किसी कारण बताये निरस्त किया जा सकता है ।
2. यह नियुक्ति प्रस्ताव पूर्णतः संविदा तथा प्रोजेक्ट कार्य के साथ को-टर्मिनस है अर्थात् यह नियुक्ति परियोजना की समाप्ति के साथ स्वतः ही समाप्त हो जायेगी ।
3. आपका संस्थान में इस नियुक्ति का नियमित अथवा स्थायी करने का कोई दावा (अधिकार) मान्य नही होगा ।
4. आपको किसी प्रकार का पेंशन उपदान एवं सामान्य भविष्य निधि आदि परिलाभ देय नही होगा ।
5. आप किसी भी प्रकार के अवकाश आकस्मिक अवकाश (1 वर्ष में 12 दिन) के अतिरिक्त के लिए अधिकृत नही होगें ।
6. आप परियोजना की अवधि में किसी भी प्रकार का अन्यत्र कार्यभार/दायित्व लेने के लिए अधिकृत नही होगें ।
7. आप केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएएस) एवं आयुर्वेद क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, पटना के कर्मचारी के रूप में व्यवहरित (treated) नही होगें ।

आयुर्वेद क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान
अनुसंधान अधिकारी
प्रभारी
आगमकुआँ, पटना

यदि आपको यह नियुक्ति प्रस्ताव उक्त शर्तों के अन्तर्गत स्वीकार्य है तो आप अपना पदभार ग्रहण संबंधित सूचना **श्रीमान् मुख्य चिकित्सा अधिकारी / नोडल ऑफिसर, एनसीडी प्रोग्राम, जिला-गया के समक्ष ०१.०४.२०१६ से ०७.०४.२०१६** तक प्रस्तुत करे । यदि उक्त अवधि तक आप कार्यग्रहण नही करते है, तो यह प्रस्ताव स्वत: ही बिना किसी सूचना के निष्प्रभावी व निरस्त माना जायेगा ।

संस्थान द्वारा उक्त कार्यग्रहण के लिए किसी प्रकार का यात्रा व दैनिक भत्ता (टी.ए./डी.ए.) देय नही होगा । मानदेय राशि का भुगतान संबंधित प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के द्वारा उपस्थिति प्रमाणित करने के आधार पर संस्थान द्वारा किया जाएगा ।

सभी संबंधित अभ्यर्थी
उपर में वर्णित क्र.स. ०१ से ०२ तक

(डा० पी० राधाकृष्णन)
सहायक निदेशक(आयु.),प्रभारी
वैज्ञानिक-04
(डा० पी० राधाकृष्णन)
(Dr. P. Radhakrishnan)
सहायक निदेशक (आयु.), वैज्ञानिक-04
Assistant Director (Ay.), Scientist-04

<u>प्रतिलिपिः</u>

1. श्रीमान् महानिदेशक, सीसीआरएएस, नई दिल्ली को सूचनार्थ हेतु प्रेषित ।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सिविल सर्जन), जिला-गया को अनुरोध किया जाता है कि अभ्यर्थीयों को कार्य ग्रहण करवा कर संबंधित पदस्थापन केन्द्रों के लिए कार्य नियुक्ति कर सूचना, प्रभारी (संस्थान), आयुर्वेद क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, पटना को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें ।
3. स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर, एनसीडी सेल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बिहार सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।
4. नोडल अधिकारी, डा० वी० के० शाही, अनुसंधान अधिकारी(आयु.), सीसीआरएएस, नई दिल्ली को आवश्यक कार्यवाही हेतू सूचनार्थ प्रेषित ।
5. संबंधित प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला-गया को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।
6. प्रशासन अनुभाग, आयुर्वेद क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, पटना को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।
7. लेखा-शाखा, आयुर्वेद क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, पटना को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।
8. संबंधित अभ्यर्थियों को अनुपालनार्थ प्रेषित ।
9. संबंधित पत्रावली फा.सं.17-2/एनपीसीडीसीएस/आयु.क्षे.अनु.सं./पटना/15-16.

(डा० पी० राधाकृष्णन)
सहायक निदेशक(आयु.),प्रभारी
वैज्ञानिक-04
(डा० पी० राधाकृष्णन)
(Dr. P. Radhakrishnan)
सहायक निदेशक (आयु.), वैज्ञानिक-04
Assistant Director (Ay.), Scientist-04